न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 37/2016

अनवान :–

श्री हंसराज साध, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री शैलेन्द्र आचार्य पुत्र शिव नारायण आचार्य मैसर्स विशाल मेगा मार्ट एयर प्लाजा होडिलंग प्रा.लि. पैट्रोल पम्प जी.एस. रोड़ बीकानेर
2. श्री विकास डाका पुत्र देवकरण ढाका स्टोर कीपर विशाल मेगा मार्ट(विक्रेता)
3. मैसर्स मैनेजर निदेशक श्याम एजेन्सी दुकान नं. 51 ए श्याम विहार आईसीडी कनकपुरा, जयपुर
4. मैनेजर निदेशक मै0 केपीटल फूडस प्रा. लि. नाहूली विपेज वलसाड गुजरात– 396108

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उनके प्रतिनिधि
2. अप्रार्थी संख्या– 1 की ओर से – श्री संदीप कुमार जोशी अधिवक्ता
3. अप्रार्थी संख्या– 2 – अनुपस्थित
4. अप्रार्थी संख्या– 3–4 की ओर से– श्री देवेन्द्र कुमार खत्री अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 29.11.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया दिनांक 04.06.2015 को निरीक्षण के दौरान मै0 विशाल मेगा मार्ट, गंगाशहर. रोड़, बीकानेर पर आमजन बिक्री हेतु पैक्ड 300 ग्राम के कुल 40 नग मसाला नूडल्स (smith & jones) रखा था। जिसका बैंच संख्या वी 18 डी एमएस नं. 1 बी पैंकिग दिनांक अप्रैल 2015 तथा उत्पादन स्थल केपीटल फूडस प्रा. लि. नहूली विलेज गांव वलसाड गुजरात अंकित था। तदन्तर मिलावट की आंशका होने पर उक्त पैक्ड मसाला नूडल्स (smith & jones) 300gm x 8 नग पैक्ड की कीमत रूपये 30 X 8 नग = 240/– की बताई गई। उक्त खादय पदार्थ नमूना संग्रह हेतु क्रय कर उनके द्वारा बताये अनुसार मूल्य 240/– रूपये में खरीद कर नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। विक्रेता से उक्त नमूना जांच की पैक्ड मसाला नूडल्स (smith & jones) 300gm की कागज में पैकड पर लैबल फॉर्म तैयार कर उस पर विक्रेता गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं अपने हस्ताक्षर किये तथा चारों पर एक–एक लैबल फॉर्म गोंद से चिपकाया। प्रत्येक पैकड़ नमूना पर मोटा मजबूत खाखी कागज लपेटकर ऊपर नीचे से गोंद से अच्छी तरह चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना पर डीओ/सीएमएचओ द्वारा जारी पेपर स्लिप जे– 934 जो कि उनके द्वारा हस्ताक्षरित थी, को टोप दी बोटम प्रक्रिया द्वारा गोंद से अच्छी तरह चिपकाया तथा चारों पैकड नमूना पर क्रमशः मोटा मजबूत धागे से कसकर ऊपर से नीचे दाये से बाये बांधा और ब्रास शील्ड द्वारा चारों

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

तरफ सील द्वारा चपड़ी का प्रयोग करते हुवे शिल्ड पैक किया और प्रत्येक पैकड नमूना को पेपर स्लिप क्रॉस करते हुए विक्रेता एवं दोनों गवाह के हस्ताक्षर करवाये और स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये और चारों नमूना पैक्ड को अपने कब्जे में लिया। उक्त कार्यवाही के पश्चात मौके पर फर्द मुआयना रिपोर्ट तैयार की जिसे पढ़कर पढाकर समझा कर उपरोक्त तीनों के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये तथा नियमानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर उक्त नमूना शील्ड पैक मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से जांच रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./1520/एक्ट/2015/430 दिनांक 17.06.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें पैक्ड पैक्ड मसाला नूडल्स (smith & jones) मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगणों द्वारा आमजन को पैक्ड मसाला नूडल्स (smith & jonesद्ध मिसब्राण्ड स्तर का उपलब्ध कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हीरालाल जोशी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार खत्री अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 2 ना तो स्वयं उपस्थित आया और नाही प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित आया। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तद्न्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से पैक्ड मसाला नूडल्स (smith & jones) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में अप्रार्थी मै0 विशाल मेगा मार्ट, गंगाशहर. रोड़, बीकानेर के यहां पैक्ड मसाला नूडल्स (smith & jones) मिसब्राण्ड पाया गया। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक L.S. 1520/Act/ 2015/430 दिनांक 17.06.2015 अनुसार पैक्ड मसाला नूडल्स (smith & jones) मिसब्राण्ड पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है इस अप्रार्थी की दुकान पर पैक्ड पैक्ड मसाला नूडल्स(smith & jones)मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। विभागीय प्रतिनिधि का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 M/s Airplaza Retail Holding Pvt. Ltd. कम्पनी का कर्मचारी है जो वर्तमान में कम्पनी के बीकानेर स्थित रिटेल स्टोर के डिपार्टमेंट मैनेजर की हैसियत से नमूना के वक्त एफएसएसए के प्रावधानों के तहत नोमिनी की रूप में कार्य कर रहा था। M/s Airplaza Retail Holding Pvt. Ltd. कम्पनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के तहत एक निगमित निकाय है जो पूरे भारत में विशाल मेगाा मार्ट के नाम से व्यवसाय तथा रिटेल स्टोर एवं

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

दुकान का प्रबंधन एवं सचलान कर रही है। परिवाद परिवसदी धारा 77 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मियाद बाहर होने से संधारण योग्य नहीं है। परिवादी द्वारा परिवाद में दिनांक 4.6.2015 को नमूना लिये जाने का कथन किया गया है एवं अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनांक 21.6.2016 को परिवादी को परिवाद करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। धारा 77 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसाद परिवाद प्रस्तुत करने की मियाद एक वर्ष है। परिवाद एक वर्ष की अवधि के बाहर पेश किया गया है। नियमानुसार धारा 77 के परन्तुक के अधीन विहित परिसीमा अवधि के अवसान के पश्चात् अभियोजन प्रारम्भ करने हेतु कुल तीन वर्ष के भीतर Commissioner of food safety द्वारा ऐसे अभियोजन हेतु स्वीकृति लिखित में दिया जाना आवश्यक है। किन्तु प्रस्तुत परिवाद में ऐसी कोई स्वीकृति Commissioner of food safety द्वारा अभियोजन हेतु नहीं दी गयी और माननीय न्यायालय द्वार मामले का संज्ञान खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर ही ले लिया। उक्त प्रसंज्ञान धारा 77 के प्रावधानों के परे जाकर लिया गया है इसलिए प्रस्तुतपरिवाद प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। परिवादी श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 37 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2,1,3 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अहर्ता, योग्यताऐं नहीं रखने के कारण विधि अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं है। जांच किये गए नमूने के चौथे भाग को प्राप्त करने के अधिकार के बारे में अप्रार्थी को कभी भी सूचित नहीं किया गया था। प्रश्नगत नमूना एक instant noodle है जो अधिनियम को धारा 22(4) के अन्तर्गत एक ट्रेडमार्क युक्त खाद्य है जिसके संबंध में किसी भी प्रकार के मापदण्ड अधिनियम एवं नियमों में नहीं दिए गए है। खाद्य सुरक्षा विश्लेषक द्वारा जिन मापदण्डों के आधार पर इस नमूना की जांच की गयी है वो इस मामले में लागू नहीं होती है। उक्त नमने की खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच की गयी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O) food safety and standards authourity of India दिल्ली के F-No. 10/QA/ Enforcement Issues/FSSAI- 2015, दिनांक 8.6.2015 की सलाह पर किया गया था। उक्त सलाह अधिनियम की धारा 93 के संदर्भ में खाद्य व्यवसाय संचालकों पर बाध्यकारी नहीं थी। food authority को धारा 92 (ई) व 16 (2) के अधीन प्रदत की गयी शक्तियों के अधीन रहते हुए food authority को मानव उपभोग हेतु काम आने वाले खाद्य उत्पादों के संबंध में मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने वाले विनियम बनाने की शक्ति धारा 93 के अधीन संसद के समक्ष ऐसे प्रत्येक नियम और विनियम को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश के साथ प्रदान की गयी है। advisory दिनांक 8.6.2015 को जारी की गयी जबकि प्रश्नगत नमूना अप्रार्थी के रिटेल स्टोर से दिनांक 4.6.2015 को ही ले लिया गया नमूना को पैंकिंग अप्रैल 2015 में ही हो रखी थी, जो advisory जारी करने की दिनांक से बहुत पहले की है। उक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट नहीं होता की कथित advisory इस मामले में कहां लागू होती है। नमूना रिपोर्ट में 'टेस्ट–मेकर के pre packed pouches पर शाकारी अथवा मांसाहारी भोजन के निशान, net waight, और उत्पादक/पैकर के नाम तथा सम्पूण पते दर्शित नहीं किये गये थे, जो कि एसएसएस (पैंकेंजिंग, लेबलिंग रेगुलेशन 2011) के विनियम संख्या 2,2,2,(4)(6)(7)(10)(i) का उल्लंघन करता है।" उक्त विनियम केवल Pre Packaged Food Item पर लागु होता है। टेस्ट मेकर का पाउच विनियम की धारा 1,2,1 (8)

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

की परिभाषा के तहत Pre Packaged Food Item की परिभाषा और सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए हर माल जो Pre Packaged Food Item के रूप में सुविवेचित हो, को दो शर्तो की पालना आवश्यक रूप से करनी होती है। 1– सामग्री को इस प्रकार से पैक किया जावे की पैकेट से छेड़–छाड़ बिना निहित वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके और (2)वह उपभोक्ता को बेचने हेतु तैयार स्थिति में हो। नूडल्स के पाउच पहली शर्त को तो पूर्ण करते हैकिन्तु दूसरी शर्त को पूरा नहीं करता है क्योंकि पाउच सीधे उपभोक्ता को बचने के लिए नहीं बने है बल्कि उन नूडल्स के पैकेट के अन्दर रखे गए है और केवल नूडल्स के साथ ही बेचे जाते है। कथित उत्पाद स्मिथ एंडजोन्स का मसाला अलग से नहीं बेचा जाता है बल्कि यह एक एकीकृत पैकेट होता है पर इन परिस्थितियों में प्रश्नगत उत्पाद के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं पैकेट के लेबल पर घोषित कर दी जाती है। बिना किसी पूर्वाग्रह के साबित है कि M/s Airplaza Retail Holdings Pvt. Ltd. कम्पनी प्रश्नगत उत्पाद की केवल मात्र विक्रेता हैऔर कथित उत्पाद उसी रूप में विक्रय किया जाता राह है जिस रूप में उसे उत्पादक/प्रोसेसर/पैकेजर से खरीदा जाता है। बिना कोई परिवर्तन या पुनपैकेजिंग किये हुवे वैसी ही अवस्था में बेचा जाता है। अप्रार्थी को अधिनियम की धारा 26(4) में वर्णित फूड बिजनस ऑपरेटर द्वारा विक्रेता को प्रदत गारंटी का बचाव उपलब्ध है और इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2,1,14 के प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी केवल अभिकथित पदार्थ का रिटेलर होने के कारण गारंटी के लाभ का हकदार है। प्रश्नगत उत्पाद अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उत्पादित, संसाधित तथा पैक किया जाता है और अभिकथित उत्पाद कम्पनी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से खरीदा गया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अभियोजन के लिए स्वीकृति तथ्यों और विधि पर ध्यान दिए बिना और विचार किये बिना दी गयी है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद नैसंगिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने एवं समस्त तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर तथा गलत आधारों पर पेश किये जाने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है। अतः परिवाद परिवादी खारिज फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि उक्त अनवानी प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2015 को मैसर्स विशाल मेगामार्ट बीकानेर से लिये गये नमूना के संबंध में जो मसाला नूडल्स था के विश्लेषण बाद जारी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया है। धारा 47(1)के अनुसार नमूना लेते वक्त प्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने की सूचना कभी भी प्रेषित नहीं की जो एक मेन्डेटरी प्रोविजन है। प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी के यहां दिनांक 27.06.2016 को पेश किया गया जबकि नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अनुसार परिवाद नमूना लेने के एक साल में पेश किया जाना था। जबकि नमूना 04.06.2015 को लिया गया था। देरी का उचित कारण भी परिवाद में नहीं बतलाया गया है। अतः परिवाद इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। Seasoning Mix तथा न्यूडल्स एक पोली बैग मे रखकर पोलीबैग पर समस्त विधिक Informations लिखी हुई थी जो खाद्य विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट मे बतलाया है। Seasoning Mix पोली बैग में होता तथा उसकी बिक्री अलग से नहीं की जाती तथा न्यूडलस के पोली बैग को बिना खोले Seasoning Mix बिक्री भी नहीं किया जा सकता है। Seasoning Mix के

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Ingsredients न्यूडल्स के पोली बैग पर अंकित है। जो खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। अतः Seasoning Mix को पैकेट मानकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक(पैकेंजिंग एण्ड लैबलिंग) रेग्यूलेशन 2011 के रेग्यूलेशन 2,2,2(4)(6)तथा (7) का Contravention बतलाना सही नहीं हैं क्योंकि न्यूडल्स के पोली बैग पर कानूनन चाही गयी सभी जानकारी अंकित थीं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बनाये गये रेगुलेशन (पैकेंजिंग एण्ड लैबलिंग) रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन 2,2,2(10)(1) की गलत ब्याख्या कर न्यूडल्स के इस नमूने को मिसब्राण्ड किया गया है क्योंकि नमूने की पोली बैग पर बेस्ट बिफासेर जनवरी 16 लिखा हुआ था खाद्य विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं लिखा है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत भी उपरोक्त वर्णित रेगुलेशन के अनुरूप ही बेस्ट बिफोर लिखने का प्रावधान रूल 32(2) के अन्तर्गत था तथा उक्त प्रावधान के लिए विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि बेस्ट बिफोर अगर साफ तौर पर किसी भी तरह से लिखा गया हो तो उक्त रूल का उल्लंघन नहीं माना जावेगा। विभिन्न न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय जगदीश प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य 2005(2) एफएसए 122 (पटना हाई कोर्ट), एच डी आनन्द एक्या बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य 2011(1) एफएसी 265(पटना हाई कोर्ट), प्रमोद कुमार केडिया बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य 2012(1) एफएसी 479(पटना हाई कोर्ट) एच डी श्रीओम इण्ड. बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड 2012(2) एफएसी–8(झारखण्ड हाई कोर्ट) ओसर जोसेफल एण्ड अन्य बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य 2012(2) एफएसी 24(झारखण्ड हाई कोर्ट) श्री जालज कुमार जटर्जी बनाम स्टेट आफ झारखण्ड व अन्य 2013(1) एफएसी 482 (झारखण्ड हाई कोर्ट) श्री जालज कुमार जटर्जी बनाम स्टेट आफ झारखण्ड व अन्य 2013(1) एफएसी 484 (झारखण्ड हाई कोर्ट) में प्रतिपादित किये है। खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट फार्म बी में दी गई है जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनाये गये रूल 2,1,4,(2)(ii) तथा रूल 2,4,2(5) के अनुसार खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित विश्लेषण रिपोर्ट Erroneous तथा वोईड है। इस प्रकरण में मसाला न्यूडल्स को बिना किसी आधार के मिसब्राण्ड घोषित किया गया है इसलिए परिवाद इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः मिसब्राण्ड के इस परिवाद को इसी स्टेज पर खारिज कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करने की कृपा करें।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से सर्वप्रथम यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी मैसर्स विशाल मेगा मार्ट, गंगाशहर रोड़ बीकानेर के यहां दिनांक 04.06.2015 को पैक्ड मसाला नूडल्स (smith & jones) के नमूना जांच हेतु सेम्पल लिया गया तथा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को दिनांक 05.06.2015 को भेजा गया। जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 17.6.2015 को प्राप्त हुई तथा परिवाद 21.06.2016 को प्रस्तुत किया गया। चूंकि परिवाद धारा 77 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार समय सीमा में प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस संबंध में हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 77 प्रावधानो का अवलोकन किया। इस प्रावधान के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि " इस अधिनियम में किसी बात की होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय किसी अपराध के कारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।" इसी प्रावधान के परंतुक के अनुसार "परंतु खाद्य सुरक्षा आयुक्त, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से तीन वर्ष तक की विस्तारित अवधि के भितर अभियोजन की मंजूरी दे सकेगा।" पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थीगण मौका स्थल से दिनांक 04.06.2015 को सेम्पल लिया गया था। जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 17.06.2015 को प्राप्त हो चुकी थी। परिवादी पक्ष को सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार नियत समय अवधि एक वर्ष तथा अर्थात इस प्रकरण हेतु 04.06.2016 से पूर्व परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना प्रावधानो के अनुसार आवश्यक था परंतु इस प्रकरण में परिवाद 21.06.2016 को प्रस्तुत किया गया है। जो कि प्रावधानो के विरूद्ध नियत समय अवधि एक वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। धारा 77 के परंतुक के अनुसार खाद्य् सुरक्षा आयुक्त लेखबद्ध किये जाने वाले कारणो से तीन वर्ष तक की विस्तारित अवधि के भीतर अभियोजन की मंजूरी दे सकेगा। पत्रावली के अवलोकन से इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति क्रंमाक CMHO/FSSA/6074 दिनांक 21.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रदत्त की गई है। जो कि धारा 77 के प्रावधानो के अनुसार एक वर्ष की समयावधि के पश्चात प्रदत्त की गई है। इस अभियोजन स्वीकृति में धारा 77 के परंतुक में लिये गये प्रावधानो की कत्तई पालना नही की गई है इसलिए दिनांक 21.06.2016 को अभिहित अधिकारी द्वारा जारी की गई अभियोजन स्वीकृति अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती । परिवादी पक्ष द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 77 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत एक वर्ष की समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात यह परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद पर न्यायालय धारा 77 के प्रावधानों का परिवादी पक्ष द्वारा उल्लंघंन किये जाने के कारण अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेना न्यायोचित नहीं समझती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में परिवादी पक्ष द्वारा अप्रार्थीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद जुर्म अतर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 अधिनियम की धारा 77 प्रावधानों के विपरीत एक वर्ष की समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने के कारण न्यायालय अप्रार्थी के पक्ष के विरूद्ध उक्त जुर्म में प्रसंज्ञान नहीं लिये जाने का आदेश दिया जाता है। परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपर्युक्त आधारो पर धारा 77 प्रावधानो के अतंर्गत खारिज किया जाकर अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध परिवादित कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8. यह निर्णय आज दिनांक **29.11.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थीगण के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
बीकानेर